कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य डीपीसी/18–19/2018 दिनांक 16.07.2018 द्वारा विद्या सिंह मार, को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राउमावि–बुगडार जिला करौली में पदस्थापित किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती मार द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 2551/2018 विद्या सिंह मार बनाम श्रीमान निदेशक व अन्य दायर की गई।

अपील सं 2551/2018 के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2018 द्वारा अपीलार्थी के आलोच्य आदेश दिनांक 16.07.2018 की अनुपालना में नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दिनांक 28.08.2018 तक एक अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे दिनांक 15.09.2018 तक एक आख्यात्मक आदेश पारित कर विधि अनुसार अपीलार्थी की पदौन्नति पर पदस्थापन बाबत् समुचित न्यायसंगत आदेश पारित करने एवं आदेश पारित होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 16.07.2018 का क्रियान्वयन अभ्यावेदन निस्तारण तक स्थगित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं की रिकाउन्सलिंग कर अलवर जिले में राउमावि–रामसिंहपुरा, बहरोड अलवर अथवा राउमावि–गुजरवास, बहरोड जिला अलवर में पदस्थापन बाबत् निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से परीक्षण किया गया। श्रीमती विद्या सिंह मार द्वारा काउन्सलिंग के समय विकल्प पत्र प्रस्तुत कर राउमावि–बुगडार जिला करौली हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई थी। माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में ही अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए थे। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 4.08.2018 को ही उक्त स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया गया है। अपीलार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष स्तर का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी ली जा सकती है। इसी अनुरूप अपीलार्थी श्रीमती विद्या सिंह मार को अनुतोष देय नहीं होने के आधार पर अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/विद्या सिंह मार/अपील/2551/2018 **दिनांक** 10.09.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा करौली।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 03.08.2018 द्वारा श्रीमती शारदा वर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनदेवी बांगड, डीडवाना जिला नागौर का स्थानान्तरण राउमावि–सीलनवाड जिला नागौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती शारदा वर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं. 2888/2018 शारदा वर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील सं. 2888/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 द्वारा प्रार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही निस्तारित करते हुए प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष दिनांक 10.09.2018 तक अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 25.09.2018 तक एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनके पुत्र के जन्म से मिर्गी(Epilepsy) रोग से ग्रस्त होने के कारण 24 घन्टे देखभाल की आवश्यकता होने तथा अपनी पारिवारिक एवं निजी समस्याओं के मद्देनजर अपना पदस्थापन अपने पूर्व विद्यालय राबाउमावि–सोनदेवी बांगड, डीडवाना, नागौर या शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग ई.टी. सैल अथवा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मसूदा, अजमेर में प्रधानाचार्य या समकक्ष के किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापित करने की परिवेदना की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व परीक्षण किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया गया था। अपीलार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष स्तर का पद राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कही पर भी लेने हेतु सक्षम हैं। अपीलार्थी को नागौर जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। अतः इस आधार पर चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण अपीलार्थी श्रीमती शारदा वर्मा, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांकः 03.08.2018 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो दिनांक 14.09.2018 तक अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि–सिलनवाड, लाडनूं जिला नागौर में कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए में विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/शारदा वर्मा/अपील/2888/2018 दिनांक 10.09.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, नागौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित अपीलार्थी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 24.05.2018 द्वारा श्री निर्मल सिंह, प्रधानाचार्य राआउमावि–भगतपुरा, संगरिया जिला हनुमानगढ का स्थानान्तरण राआउमावि–7 एल.सी., विजयनगर जिला गंगानगर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री निर्मल सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकारण जयपुर में अपील सं. 798/2018 निर्मल सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील सं. 798/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2018 द्वारा प्रार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को ग्राह्यता के क्रम पर ही निस्तारित करते हुए प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनके स्थानान्तरित स्थान के मूल निवास स्थान से करीब 118 किमी दूर होने, सेवानिवृति में दो वर्ष का समय शेष रहने एवं स्वयं के मधुमेह रोग से पीडित होने की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन दिनांक 30.09.2018 को रिक्त होने वाले पद–प्रधानाचार्य राबाउमावि टिब्बी जिला हनुमानगढ में किये जाने की परिवेदना की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष स्तर का पद राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम हैं। अपीलार्थी को उनके गृह जिले के समीप हनुमानगढ जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। अतः इस आधार पर चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण अपीलार्थी श्री निर्मल सिंह, प्रधानाचार्य राआउमावि–7 एल.सी, विजयनगर जिला श्रीगंगानगर का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/निर्मल सिंह/अपील/798/2018 **दिनांक** 10.09.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ/गंगानगर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित अपीलार्थी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 19.06.2018 द्वारा श्रीमती सुशीला प्रधानाचार्य श्रीमती नानी बाई जयपुरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माण्डवा जिला झुन्झुनु का स्थानान्तरण राजकीय आदर्श उमावि–कपासियों की ढाणी, रणोदर, चितलवाना जिला जालौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती सुशीला द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2020/2018 सुशीला बनाम श्रीमान निदेशक व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2018 द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.06.2018 की अनुपालना में अपीलार्थी के कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त आदेश का क्रियान्वयन अपीलार्थी के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया है। अतः श्रीमती सुशीला माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक माननीय अधिकरण के निर्णय के अध्याधीन श्रीमती नानी बाई जयपुरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माण्डवा जिला झुन्झुनु में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी एवं श्रीमती बबीता ढाका, प्रधानाचार्य को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सुशीला/अपील/2020/2018
दिनांक 10.09.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चुरू/पाली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा झुन्झुनु/जालौर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)